न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 130/2025 G.C.M.S. No. 2025/856 दर्ज दिनांक : 16.10.2025

अपीलार्थी:

1. सोहनकंवर पत्नि परबतसिंह खींची, जाति राजपूत, निवासी जालम निवास, पदमावती नगर योजना, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कुशवीरसिंह राठौड़ पुत्र भंवरसिंह, आयु 36 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बाण्डाई, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. रीना चौहान पुत्री अशोक कुमार चौहान, जाति कलाल, निवासी मकान नंबर 1 रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, पता तहसील कार्यालय रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2025 बअनवान कुशवीरसिंह राठौड़ बनाम सोहनकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री रूपेश सोलंकी, अंजु सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2025 बअनवान कुशवीरसिंह राठौड़ बनाम सोहनकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और प्रार्थना–पत्र के अभिवचन अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 के निवास जालम निवास, पदमावती नगर योजना पावटा सी रोड़ जोधपुर होना अंकित किया, तत्पश्चात् पेन द्वारा हाल निवास ग्राम बाण्डाई लिखना गलत है, यहां यह स्थिति माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय पते को प्रकट करता है, ऐसी अवस्था में अधिनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि दोनों पतों पर नोटिस को नियमानुसार प्रेषित किया जाता। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 के निवास जालम निवास,

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पदमावती नगर योजना पावटा सी रोड़ जोधपुर के नोटिस जारी किया गया, जिस पर पुनः पेन द्वारा द्वितीय पता ग्राम बाण्डाई तहसील रोहट, जिला पाली अंकित किया गया, जिसके संशोधन पर कोई सील, साईन अंकित नहीं हैं, जो मेलाफाईड आशय को प्रकट करता है, उक्त नोटिस दिनांक 02.07.2025 को जारी किया गया और तामील कुनिन्दा ने उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग में किस स्थान पर स्थित घर पर गया, वर्णित नहीं हैं, तामील कुनिन्दा किस दिन व समय नोटिस लेकर गया वर्णित नहीं हैं, तामील कुनिन्दा ने किस मकान पर चस्पा किया, वह मकान जोधपुर में हैं या ग्राम बाण्डाई में हैं, स्पष्ट अंकित नहीं किया है, जबकि दो मौतबिरान जो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के रिश्तेदार है, के हस्ताक्षर करवा दिये गये, नोटिस प्रेषित मकान के पड़ौसी नहीं हैं। इस प्रकार मिलीभगती से की गयी तामील अयुक्तियुक्त एवं अनुचित होने से स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के तहत मौका फर्द पटवारी कविता विश्नोई बाण्डाई द्वारा दिनांक 08.09.2025 को तैयार की गयी। पटवारी कविता विश्नोई अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 को व्यक्तिगत जानती हैं और हाल ही में पटवारी कविता विश्नोई की उपस्थिति में धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के चलते अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 के पति परबतसिंह ने किरायेदार द्वारा किया गया अतिक्रमण जानकारी में आने पर स्वयंमेव उपस्थित होकर हटवा दिया, जो रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 ने बनायी। पटवारी महोदया द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 को उपस्थिति बाबत कोई सूचना नहीं प्रेषित की गयी और ना ही कॉल अथवा किसी अन्य माध्यम के प्रदत की गयी। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1, धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही और रास्ते के अधिकार के विरूद्ध नहीं हैं, लेकिन कार्यवाही विधिसम्मत और उचित होनी चाहिये। उक्त प्रावधान जनहितार्थ है, जिसको एकपक्षीय, व्यक्तिगत एवं नाजायज फायदा दिया जाना उचित नहीं हैं। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 प्रभावित खातेदार है। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 अपने खेत से 15 फुट का रास्ता देने को तैयार है, लेकिन उपरोक्त रास्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी का प्रस्तावित ही हो, यह आज्ञापक उपबन्ध नहीं हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी ने आजदिन तक प्रस्तावित रास्ता कदीमी उपयोग–उपभोग नहीं किया है और ना अन्य कृषकों द्वारा उपयोग–उपभोग में रहा है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया अथवा कार्यवाही पेश नहीं की कि अमुख दिन इस प्रकार से रास्ता रोका गया, वास्तविकता यह है कि रास्ता का अस्तित्व ना था, इस कारण रोके

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अपनी जोत तक पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जाहिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा गलत प्रेषित की गई थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना व वास्तविक प्रचलित डीएलसी दर प्राप्त किए बिना प्रतिकर राशि की गणना कर दी गई हैं। अतः यदि स्वीकृत रास्ते की आराजी की तत्समय प्रचलित वास्तविक डीएलसी दर प्राप्त की जाकर नियमानुसार प्रतिकर राशि की गणना कर प्रतिकर का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाता है तो अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं हैं। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा भी सहमति जाहिर की एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। अतः उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सहमति अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर एवं प्रतिकर राशि की गणना की सीमा तक अपास्त करते हुए एवं शेष आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण निर्देश के साथ वास्तविक प्रचलित डीएलसी दर के आधार पर प्रतिकर राशि की पुनः गणना कर प्रतिकर राशि निर्धारित की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान किए जाने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2025 बअनवान कुशवीरसिंह राठौड़ बनाम सोहनकंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 को प्रभावित आराजी की वास्तविक प्रचलित डीएलसी दर एवं प्रतिकर राशि की गणना एवं निर्धारण की सीमा तक अपास्त करते हुए एवं शेष आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ते के मूल खसरे की तत्समय प्रचलित वास्तविक डीएलसी दर प्राप्त कर प्रतिकर राशि की उक्त अनुसार पुनः गणना व निर्धारण करते हुए अप्रार्थीगण को अपने हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से वितरित किए जाने बाबत संशोधित आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट में दिनांक 29.06.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली